भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4234

दिनांक 19 अगस्त, 2025

विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दे

4234. श्री बैजयंत पांडा :

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान किसानों द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे, विशेषकर बीजों और कीटनाशकों की गुणवत्ता संबंधी मुद्दे, क्या हैं ;
(ख) विगत दो वर्षों के दौरान पाए गए घटिया बीज नमूनों का आंकड़ों सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा नवीनतम तकनीक के साथ बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं को उन्नत और सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(घ) क्या सरकार किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) : विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान किसानों द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे थे, विभिन्न कृषि आदानों (इनपुट्स) जैसे जलवायु अनुकूल किस्मों सहित अन्य बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की गुणवत्ता, समय पर उपलब्धता और किसानों तक पहुंच।

(ख) : पिछले दो वर्षों के दौरान पाए गए सब-स्टैंडर्ड बीज नमूनों का राज्यवार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) : नवीनतम प्रौद्योगिकी वाली बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत करने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए एंड एफडब्ल्यू), भारत सरकार द्वारा राज्यों और सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यान्वयन एजेंसियों को विभिन्न बीज-संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए वित्तीय सहायता (भारत सरकार के 100% हिस्से तक) प्रदान की जाती है। इनमें प्रयोगशालाओं के लिए उपकरणों की खरीद, प्रयोगशाला भवनों का निर्माण और नवीनीकरण, अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण एसोसिएशन (आईएसटीए) के प्रत्यायन के लिए बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसटीएल) की सदस्यता और तकनीकी ऑडिट प्राप्त करना, विशेष बीज स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सुविधाओं की स्थापना (आनुवंशिक शुद्धता के परीक्षण के लिए) शामिल हैं। ग्रो-आउट-टेस्ट (जीओटी) फार्मों को सुदृढ़ करने, ग्रीनहाउस सुविधाओं की स्थापना और क्षमता निर्माण की पहल करने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। इन कार्यकलापों का वित्तपोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) - बीज घटक (पूर्व में बीज एवं रोपण सामग्री सब-मिशन) के अंतर्गत किया जाता है।

(घ) : नकली बीजों, नाशीजीवनाशकों और उर्वरकों की गड़बड़ी पर अंकुश लगाने और किसानों को गुणवत्तापूर्ण आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968, बीज (नियंत्रण) आदेश 1983, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, कीटनाशक अधिनियम 1964, कीटनाशक नियम 1971, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 आदि में विभिन्न प्रावधान उपलब्ध हैं।

संबंधित राज्य कृषि विभाग अपने-अपने राज्यों में बीजों, उर्वरकों और नाशीजीवनाशकों के गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति करता है। यदि बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों के किसी भी नमूने में नकली/ सब-स्टैंडर्ड पाई जाती है, तो अधिनियमों और नियमों के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

****

अनुबंध

{लोक सभा के दिनांक 19.08.2025 के अतारांकित प्रश्न सं. 4234 का भाग (ख)}

विगत दो वर्षों के दौरान सब-स्टैंडर्ड पाए गए बीज नमूनों का राज्यवार विवरण

राज्य	2023-24		2024-25	
	लिए गए नमूनों की संख्या	सब-स्टैंडर्ड पाए गए नमूनों की संख्या	लिए गए नमूनों की संख्या	सब-स्टैंडर्ड पाए गए नमूनों की संख्या
आंध्र प्रदेश	11880	160	13888	186
असम	0	0	97	0
बिहार	11258	145	14290	365
छत्तीसगढ	6090	192	7218	326
दिल्ली	0	0	49	0
गुजरात	12313	99	17346	507
हरियाणा	2784	39	3336	63
हिमाचल प्रदेश	618	0	720	0
जम्मू एवं कश्मीर	0	0	578	9
झारखंड	772	0	1588	1
कर्नाटक	6894	76	10249	102
केरल	0	0	3653	145
मध्य प्रदेश	9537	641	30333	1031
महाराष्ट्र	0	0	19716	1438
ओडिशा	1553	75	4449	1363
पुदुचेरी	60	15	106	25
पंजाब	0	0	5612	148
राजस्थान	0	0	6382	190
तमिल नाडु	19218	394	52143	1565
तेलंगाना	11889	293	11946	247
त्रिपुरा	0	0	961	48
उत्तर प्रदेश	17013	233	17408	306
उत्तराखंड	493	5	541	0
पश्चिम बंगाल	21216	1263	30267	24460
कुल	**133588**	**3630**	**252876**	**32525**

****